न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 962–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–10–2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 03/अ–6/12–13

.....

अशोक कुमार पिता स्व.लक्ष्मीनारायण शर्मा
निवासी दत्तमंदिर के पास, सिवनीमालवा,
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1– जगन्नाथ प्रसाद शर्मा पिता स्व.श्रीराम शर्मा,
निवासी कैलादेवी मंदिर के पास गोलापुरा हरदा,
जिला हरदा
2– मांगीलाल शर्मा पिता स्व.जयराम शर्मा,
निवासी कर्मचारी कॉलोनी खातेगॉव तहसील खातेगॉव
जिला देवास म0प्र0
3– अनिल कुमार शर्मा पिता स्व0लक्ष्मीनारायण शर्मा
निवासी दत्त मंदिर के पास सिवनी मालवा
4– श्रीमति सीताबाई शर्मा पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण शर्मा,
निवासी दत्त मंदिर के पास सिवनीमालवा जिला होशगांबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री ओ.पी.गोंदिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री आजाद मिश्रा, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री वीरेन्द्र सोनी, अनावेदक कमांक 3 व 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 14/07/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–10–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला होशंगाबाद के समक्ष अनावेदक कमांक 1 जगन्नाथ प्रसाद शर्मा एवं अनावेदक कमांक 2 मॉगीलाल शर्मा द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम भेला मकडाई तहसील सिवनीमालवा स्थित भूमि सर्वे कमांक 12 रकवा 15.70 एकड़ वर्ष 1996–97 के पूर्व कलियाबाई बेवा गोपालप्रसाद एवं पुत्र हीरालाल, श्रीराम, जयराम, लक्ष्मीनारायण एवं रामकरण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । उपरोक्त भूमिस्वामीयों में से कलियाबाई पुत्र हीरालाल, श्रीराम, जयराम, लक्ष्मीयनारायण एवं रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है, उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमि पर विधिक वारिसान का नाम दर्ज होना था परन्तु आवेदक अशोक कुमार शर्मा द्वारा, जो कि तहसील कार्यालय में कानूनगों के पद पर पदस्थ है, ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों पर अपना स्वयं का नाम एवं भाई अनिल तथा माता सीताबाई का नाम वर्ष 2001–02 में दर्ज करा लिया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी उन्हें वर्ष 2011 में प्राप्त होने पर आदेश की नकल हेतु दिनांक 5–11–12 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु उन्हें नकल प्राप्त नहीं हुई, उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, फिर भी नकल प्राप्त नहीं हुई । चूँकि अनावेदकगण अन्यत्र जिलों में सेवारत थे, इसका फायदा उठाकर आवेदक द्वारा नामान्तरण करा लिया गया है । आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 17/अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 9–11–99 से अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक स्व.निग./3/अ–6/12–13 दर्ज कर दिनांक 8–10–13 को आदेश पारित कर तहसीलदार के प्रकरण कमांक 17/अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 9–11–99 निरस्त किया गया एवं प्रकरण में पूर्व की स्थिति में अभिलेख दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि दोनों पक्ष चाहे तो तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

कलेक्टर के इसी आदेश दिनांक 8–10–2013 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी प्रकरण कमांक 03/अ–6/12–13 में दिनांक 19–02–2013 को जो आदेशिका लिखी गई है उसमें आवेदकगण के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश एवं संशोधन स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किये जाने की याचना किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु आवेदन पत्र एवं शपथ पत्रों में ऐसा कोई अनुतोष आवेदकगण के द्वारा नहीं मांगा गया है । इसके बावजूद भी निम्न न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार एवं प्रमाण के स्वप्रेरणा से निगरानी के आदेश दिये जाना विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि निम्न न्यायालय के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र की प्रस्तुति दिनांक को स्वप्रेरणा से निगरानी करने योग्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी । इस प्रकार उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निम्न पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा आवेदकगण को अनुचित लाभ पहुॅचाने के आशय से प्रकरण में स्वप्रेरणा से निगरानी के आदेश किये गये हैं जो कि न्यायहित में नहीं है और वह भी उस स्थिति में जबकि अनावेदक कमांक 1 व 2 विचारण न्यायालय के समक्ष रा0प्र0कमांक 17/अ–6/1997–98 में अनावेदक के रूप में पक्षकार थे, मामले में दिनांक 9–11–1999 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसकी कोई अपील अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा नहीं की गई । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील योग्य आदेश का स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण मूल प्रकरण के किसी पक्षकार को फायदा देने के लिये नहीं किया जा सकता । इस संदर्भ में न्यायदृष्टांत अच्छेलाल तथा अन्य विरूद्ध राजाराम 1998 रा0नि0 265 का हवाला दिया गया। लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा अपने शिकायत पत्र में यह बताया गया है कि वर्ष 2001–02 में अनावेदक अशोक कुमार द्वारा कथित नामान्तरण कराया गया हैं और वर्ष 2001 में करायें गये नामान्तरण को निरस्त करने हेतु प्रार्थना की गई है, परन्तु निम्न न्यायालय के द्वारा

स्वप्रेरणा से निगरानी कर रा0प्र0क0 17/अ–6/1997–98 में न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–99 को 14 वर्षो के पश्चात् निरस्त कर दिया गया, जबकि उक्त आदेश के संबंध में कोई भी आक्षेप आवेदकगण द्वारा नहीं किया गया है । इस प्रकार निम्न पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रावधानों का विधि विरूद्ध इस प्रकार से प्रयोग किया गया है जो न्यायोचित नहीं है और आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी आधार लिया कि निम्न न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् सूचना पत्र देकर न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई की जाना चाहिये, लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किये गये है। आवेदकगण द्वारा स्वयं प्रस्तुत शिकायत में जो वंश वृक्ष बताया गया है उसके अनुसार हीरालाल श्रीराम जयराम लक्ष्मीनारायण एवं रामकरण के समस्त उत्तराधिकारियों को न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा की शिकायत का निराकरण करना चाहिये था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा ऐसी कोई विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है और मनमाने ढॅग से आलोच्य आदेश पारित कर हितबद्ध पक्षकारों के हित को प्रभावित किया गया है। इस प्रकार संहिता की धारा 50 के नियम का पालन नहीं किये जाने से आलोच्य आदेश दिनांक 8–10–13 निरस्त किये जाने योग्य है। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश की कंडिका 7 में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा वादोक्त भूमि से संबंधित पक्षकारों को जारी सूचना पत्रों के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वे वास्तविकता से परे है, जबकि प्रकरण कमांक 17/अ–6/97–98 के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण के पक्षकारों पर संहिता की धारा 41 की अनुसूची 1 के नियम 11, 12 व 13 के अनुसार विधिवत् तामीली कराई गई है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी मालवा रा.प्र.क.

17/अ–6/1997–98 के अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता जगन्नाथ पिता श्रीराम जो कि उक्त नामान्तरण प्रकरण में अनावेदक कमांक 7 है, को न्यायालय का नोटिस दिनांक 30–4–1998 को तहसीलदार हरदा के माध्यम से तामील हुआ एवं अनावेदक कमांक 8 जयराम का स्वर्गवास हो जाने से उनके विधिक वारिसान शिकायतकर्ता कमांक 2 मॉगीलाल को दिनांक 27–8–99 को नोटिस तामील हुआ । इस प्रकार नोटिस तामील दिनांक से लगभग 15 वर्षो के विलम्ब से कलेक्टर जिला होशंगाबाद के समक्ष जन सुनवाई में शिकायत प्रस्तुत की गई, इन 15 वर्षो के विलम्ब का कोई भी कारण आवेदकगणों द्वारा नहीं बताया गया है न ही विलम्ब माफी के लिये अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र भी शपथ पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है । तर्क में यह भी आधार लिया कि उक्त अनावेदकगण की शिकयत को जन सुनवाई की मद में डाल कर आवेदकगणों को अपील एवं पुनरीक्षण करने की म्याद निकलने की विधिक बाधा से मुक्त कर उक्त शिकायत के आधार पर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कर अनुचित लाभ पहुॅचाया गया है क्योंकि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–11–1999 अपील योग्य आदेश था जो कि अंतिमता को प्राप्त हो गया था । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् स्वमेव निगरानी की शक्तियॉ प्रयुक्त नहीं की जाना चाहिये । इस संदर्भ में न्यायदृष्टांत सवजीराम तथा एक अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2000 रा0नि0 94 तथा विष्णु बहादुरसिंह तथा एक अन्य विरूद्ध विजय बहादुरसिंह एवं एक अन्य 1989 रा0नि0 200 का हवाला दिया है । विवादित नामान्तरण की जानकारी वर्ष 2011 में हुई तो भी जानकारी वर्ष 2011 से 180 दिनों के भीतर विधिअनुसार उन्हें सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण की याचिका प्रस्तुत करना थी परन्तु आवेदकगण के द्वारा दिनांक 12–2–2013 को कलेक्टर जिला होशंगाबाद के समक्ष उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि लगभग 8 माह के विलम्ब से पेश किया गया । इस प्रकार उक्त आवेदन पत्र अवधि बाह्य होने से पोषनीय नहीं था । इस संदर्भ में न्यायदृष्टांत संदेश समैया विरूद्ध गोकलिया उफ गोकुल तथा एक अन्य 2014

आरएन 168 का हवाला दिया है । राजस्व प्रकरण कमांक 17/अ–6/1997–98 नायब तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–99 अपील योग्य आदेश था जिसकी अपील धारा 44(1) के तहत धारा 47 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा को अनावेदकगण 1 एवं 2 को करना चाहिये थी परन्तु उक्त आदेश की कोई अपील इनके द्वारा नहीं की गई। अंत में आधार लिया कि जब प्रकरण संहिता की धारा 109, 110 का विचारण न्यायालय के समक्ष प्रचलन में था तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण को संहिता की धारा 178 का समझ कर पक्षकारों को निर्देश दिये गये हैं एवं उक्त धारा के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में ट्रायल न की जाना पाकर विधि एवं प्रकिया की गंभीर भूल की गई है, जबकि दोनों धाराएं अलग अलग मद से संबंधित है इस प्रकार आलोच्य आदेश उपरोक्त आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि कलेक्टर जिला होशंगाबाद के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित एवं विधि सम्मत है क्योंकि पुनरीक्षण के अन्तर्गत न्यायालय को बृहद अधिकार प्राप्त होत है तथा वह प्रकरण में किसी भी त्रुटि को कभी भी एवं किसी भी स्तर पर ठीक करने का आदेश दे सकता है । कलेक्टर जिला होशंगाबाद के द्वारा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई घोर अनियमितता एवं अवैधानिकता एवं विधि के प्रकिया के विरूद्ध जो आदेश दिया था उसके विरूद्ध स्वपुनरीक्षण में प्रकरण को लेते हुये विधिवत् कार्यवाही की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया है । आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से छलकपट करते हुये जो आदेश प्राप्त किया गया था वह विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध होकर एवं वैधानिक प्रकिया का बिना पालन किये प्राप्त किया था, उसके संबंध में कलेक्टर जिला होशंगाबाद का आदेश उचित एवं विधि संगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदक के द्वारा अपने पुनरीक्षण में तथाकथित पारिवारिक व्यवस्था पत्र का उल्लेख किया गया है जो अधीनस्थ

न्यायालय के रिकार्ड में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ज्ञात होता है कि आवेदक के मन में शुरू से ही कपट था तथा न्यायालय को गुमराह करते हुये आदेश प्राप्त किया गया था, जो निरस्त किये जाने योग्य है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया कि कलेक्टर जिला होशंगाबाद के समक्ष आवेदक उपस्थित होता रहा है एवं उसके अधिवक्ता भी उपस्थित होते रहे थे । अनावेदक कमांक 3 व 4 आवेदक के साथ एक ही मकान में एक साथ रहते है तथा आवेदक की मॉ लगभग 85 वर्ष की महिला है, उनकी देखभाल इन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है । अंत में यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर जिला होशंगाबाद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद के द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–6/1997–98 में जो बिना विधि की प्रकिया को अपनाये आदेश पारित किया गया था एवं अन्य वैधानिक अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त प्रकरण में पारित आदेश को निरस्त करते हुये जो आदेश दिनांक 8–10–2013 को पारित किया गया है वह उचित एवं स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि निम्न न्यायालय को प्रकरण स्वप्रेरणा से विचार में लेने के पूर्व यह देखना चाहिये था, कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में सत्यता हैं या नहीं । निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त जो असत्य आधारों पर शपथ पत्र दिये गये हैं उन पर बिना कोई साक्ष्य अथवा अनावेदक कमांक 3 व 4 को प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर दिये, स्वप्रेरणा से निगरानी की गई है एवं न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा 14 वर्ष पूर्व रा0प्र0कमांक 17/अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 9–11–99 को अपने आदेश दिनांक 8–10–13 के द्वारा निरस्त किया गया है इस कारण उक्त आलोच्य आदेश विधिअनुसार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि ग्राम भेला / रासी तहसील सिवनी मालवा की संशोधन पंजी में पुनरीक्षणकर्ता के अलावा अनावेदक कमांक 3 व 4 के नाम भी दर्ज हैं, परन्तु माननीय निम्न न्यायालय के द्वारा केवल पुनरीक्षणकर्ता को प्रकरण में आहूत किया गया जब कि अनोवदक कमांक 3 व 4 भी प्रकरण में

आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थे और उन्हें भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, परन्तु अनावेदक क्रमांक 3 व 4 के साथ हीरालाल, श्रीराम, जयराम, रामकरण के विधिक प्रतिनिधियों को भी प्रकरण में नहीं सुना गया और न ही कोई सूचना पत्र दिये गये हैं। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 50 के नियम 5 का पालन न करते हुये अवैधानिक तरीके से अधिकारिता रहित विवादित आदेश दिनांक 8–10–13 आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके ज्ञान के बिना पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं । अंत में यह भी आधार लिया गया कि कलेक्टर होशंगाबाद के उक्त अवैधानिक आदेश के परिणामस्वरूप अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को जहॉ अनुचित लाभ मिला है वहीं दूसरी ओर अनावेदक क्रमांक 3 व 4 अपील एवं पुनरीक्षण के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो गये हैं और उन्हें अपरिमित हानि उठानी पडी है और वे न्याय पाने से वंचित हो गये हैं इन तथ्यों के प्रकाश में निम्न न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 8–10–13 निरस्त किये जाने के आदेश मण्डल के द्वारा प्रदान किये जावें क्योंकि 14 वर्षो के विलम्ब के पश्चात् उक्त आदेश अनावेदक क्रमांक 3 व 4 के विरूद्ध बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के समक्ष लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वंशवृक्ष में मृतक मूल भूमिस्वामी गोपालप्रसाद का पुत्र दर्शाया जाकर मृत अंकित किया गया है और उनके वारिसानों का उल्लेख भी वंशवृक्ष में नहीं किया गया है अतः प्रथम प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मृत व्यक्ति द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो विधि विपरीत है । तहसीलदार द्वारा मृत मूल भूमिस्वामी गोपालप्रसाद के वारिसान जो कि जीवित है उनमें मनोरमा, बृजमोहन, रामकरण एवं जगन्नाथ को सूचना पत्र जारी किया गया है परन्तु उन सूचना पत्रों में एक के ही हस्ताक्षर है, इसी प्रकार अन्य जीवित वारिसान राजेश शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, राजेन्द्र शर्मा एवं गोबिन्द प्रसाद को सूचना पत्र जारी किये गये

हैं उन सूचना पत्रों में भी एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार मृतक भूमिस्वामी गोपालप्रसाद के वैध वारिसानों को विधिवत् सूचना पत्रों की तामील नहीं कराई गई है और तहसीलदार द्वारा पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन भूमि के विधिक वारिसानों/सहखातेदारों को छोड़कर आवेदक अशोककुमार शर्मा सहित उसकी माता एवं भाई के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित है और ऐसे आदेश के संबंध में समय सीमा का बंधन नहीं रह जाता है । यहॉ यह विचारणीय प्रश्न है कि तहसीलदार द्वारा बिना इस तथ्य की जॉच किये कि अशोक कुमार, अनिल कुमार एवं सीताबाई वास्तव में लक्ष्मीनारायण के विधिक वारिसान है अथवा नहीं, उनके पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि में विधिक वारिसानों का स्वत्व किन्हीं भी परिस्थितियों में समाप्त नहीं किया जा सकता है चाहे वह न्यायालय में उपस्थित हो अथवा नहीं । इस संबंध में स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि आवेदक अशोककुमार तहसील कार्यालय में कानूनगो के पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा पद का दुरूपयोग कर तहसीलदार से नामान्तरण आदेश पारित कराया गया है। अतः तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–11–1999 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में केवल तकनीकी आधार उठाये गये हैं जैसे लगभग 14 वर्ष बाद कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में अवधि बाह्य कार्यवाही की गई है एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में नहीं लिया जा सकता है और आवेदक सहित अन्य वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जो मान्य योग्य नहीं है,क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कोई आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित होकर अवैधानिक आदेश हो तब उसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया जा सकता है और ऐसी कार्यवाही में समय सीमा का बंधन नहीं रह जाता है । भले ही अपीलीय आदेश हो उसे भी स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त पूर्णत विधि विपरीत

आदेश को तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता । इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मृत भूमिस्वामी के अनेक वारिसानों का स्वत्व समाप्त कर आवेदक सहित उसके भाई एवं माता के नाम नामान्तरण किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा 1985 आर.एन. 181 में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के विद्वान द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार करने आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–10–13 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर